नि वि दा प्र प त्र

झारखण्ड शिक्षा परियोजना,सिमडेगा

नये समाहरणालय भवन,"ए"ब्लॉक,द्वितीय मंजिल, खुँटीटोली, सिमडेगा।

e-mail-ssasimdega@yahoo.co.in

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

सिमडेगा जिले में संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खाद्य–अखाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री, पठन–पाठन लेखन,कार्यालय उपयोग एवं अन्य सामग्री, के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रारूप।

<u>क्रियान्वयन संस्था</u>

झारखण्ड शिक्षा परियोजना,सिमडेगा

पता :–	नये समाहरणालय भवन,"ए"ब्लॉक,द्वितीय मंजिल, खुँटीटोली, सिमडेगा।
पोस्ट :–	खुँटीटोली
थाना :–	सिमडेगा
जिला :–	सिमडेगा
राज्य :–	झारखंड
पिन :–	835223

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय / झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय

निविदा आमंत्रण

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खाद्य–अखाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री, पठन–पाठन, लेखन सामग्री, कार्यालय उपयोग एवं अन्य सामग्री के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा संख्या – 01 / 2020–21

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खाद्य–अखाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री, पठन–पाठन,व लेखन सामग्री, कार्यालय उपयोग एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए संभावित निविदाताओं से सील बन्द निविदा आमंत्रित किया जाता है।

2. इच्छुक संभावित निविदादाता झारखण्ड षिक्षा परियोजना,सिमडेगा के कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतू 1000 / –(एक हजार रुपये) का Draft, in Favour of **JHARKHAND EDUCATION PROJECT, SIMDEGA** जमा करना होगा।

4. निविदा प्रपत्र झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा के कार्यालय से दिनांक **21-05-2020** से **10-06-2020** के **अपराहन् 04:00 बजे** तक प्राप्त किया जा सकता है एवं सील्ड निविदा प्रपत्र दिनांक **11-06-2020** के अपराह्न **4:00 बजे** तक जमा किया जाएगा तथा निविदा दिनांक **12-06-2020** पूर्वाहन **11:00 बजे स्थान–कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सिमडेगा, टोंगरीटोली, सलडेगा** में क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा।

5. निविदा झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में ही स्वीकार की जाएगी। विलम्ब अथवा विहित प्रपत्र से भिन्न रुप में जमा की गई निविदाओं तथा अन्य किसी रुप से प्राप्त अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. निविदादाता को निम्न तकनीकी कागजातों की छायाप्रति देना अनिवार्य होगा :–
   (i) Goods and Service Tax (GST) निबंधन की छायाप्रति।
   (ii) विगत माह का Goods and Service Tax (GST) Return की छायाप्रति।
   (iii) विगत तीन वर्ष का Income Tax Return की छायाप्रति।
   (iv) खाद्य सामग्री हेतु फूड लाईसेंस की छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
   (v) विगत तीन वित्तीय वर्ष का Audit Report की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
   (vi) निविदादाता का नाम काली सूची में दर्ज ना हो इससे संबंधित शपथ पत्र (Notary) देना अनिवार्य होगा।
   (vii) अग्रधन की राशि Bank Draft की मूल प्रति।
   (viii) निविदादाता को आचरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   (ix) निविदा प्रपत्र क्रय से संबंधित (Money Reciept) प्राप्ति रसीद।

8. निविदादाता को **JHARKHAND EDUCATION PROJECT, SIMDEGA** के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रत्येक पैकेज के लिए अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट के रूप में अग्रधन (Security Money) की राशि जमा करना अनिवार्य होगा जिसकी वैधता कम से कम 3 माह हो।

9. उपरोक्त तिथि को संबंधित फर्म के प्रोपराईटर अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तकनीकी बीड क्वालिफाई करने के उपरांत ही संबंधित फर्म का वित्तीय बीड खोला जाएगा।

10. निविदा खोलने की तिथि को संबंधित निविदादाता को सामग्रियों का नमूना अलग–अलग डब्बा/प्लास्टिक की थैली में क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. निविदादाता द्वारा सामग्रियों की दर, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में सभी कर सहित (प्रति किलो/प्रति पीस/प्रति लीटर या अन्य दर) में अंकित करना अनिवार्य होगा। दर अंकित नहीं करने की स्थिति में उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. निविदादाता द्वारा निविदा को दो लिफाफे में जमा करना होगा– एक **"तकनीकि बीड"** और दूसरा **"वित्तीय बीड"**। यदि एक निविदादाता एक से अधिक या सभी पैकेज का चुनाव करते है तो उसे प्रत्येक पैकेज के लिए अलग–अलग वित्तीय बीड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Envelope "A" (तकनीकि बीड) : जिसमें यह शामिल होगें :–

- झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा द्वारा मांग की गयी सभी कागजातों की छायाप्रति तथा Bank Draft की मूल प्रति। उक्त सभी कागजातों में हस्ताक्षर एवं मुहर होना अनिवार्य है।

Envelope "B" (वित्तीय बीड): जिसमें यह शामिल होगें :–

➢ इस लिफाफा में झारखण्ड शिक्षा परियोजना,सिमडेगा द्वारा प्राप्त सामग्री की सूची जिसमें दर (अंक एवं शब्दों) में अंकित करना अनिवार्य होगा। सामग्री के प्रति ईकाई मूल्य में सभी कर जैसे – Goods Service Tax (IGST, CGST, SGST), कच्चा माल, पैकिंग, हैंडलिंग एवं गन्तव्य स्थान (संबंधित विद्यालय) तक सामग्री पहुँचाने का परिवहन व्यय तथा अन्य विविध व्यय शामिल होगा। सामग्रियों का दर अंकित मूल्य/ M.R.P. (अधिकतम खुदरा मूल्य) से ज्यादा मान्य नहीं होगा। अंकित मूल्य/ M.R.P. हस्तलिखित न हो बल्कि कम्पनी द्वारा मुद्रित होना चाहिए। दर में किसी प्रकार का संदेह होने पर संबंधित निविदा प्रपत्र रद्द कर दी जाएगी। वित्तीय निविदा प्रपत्र में हस्ताक्षर एवं मुहर होना अनिवार्य है। साथ ही उक्त सामग्रियों का मूल्य, बाजार मूल्य से अधिक न हो।

➢ निविदादाता द्वारा भीतरी एवं बाहरी दोनों लिफाफे में आवश्यक रूप से बायाँ तरफ निविदादाता का नाम और पता एवं फोन नं० अंकित करें।

➢ जिला क्रय समिति को विद्यालय में कार्य करने हेतु चयनित निविदादाता को विद्यालय आवंटन करने का अंतिम अधिकार होगा।

➢ निविदादाता तकनिकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग–अलग सीलबन्द लिफाफा को एक अपेक्षाकृत बड़ा लिफाफा में डाल कर सील करेंगें। यदि बड़ा/बाहरी लिफाफा सील एवं चिन्हित नहीं हो तो निविदा के गुम होने या खुला होने की जिम्मेदारी झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा कार्यालय की नहीं होगी।

➢ निविदादाता बड़े अक्षरों में प्रत्येक लिफाफा पर स्पष्ट रूप से पैकेज संख्या एवं पैकेज का नाम अंकित करेंगे।

➢ अनुबंध में तय इकाई मूल्य कार्यादेश निर्गत की तिथि से मार्च 2021 तक के लिये प्रभावी होगा तथा किसी भी स्थिति में मूल्य में भिन्नता (बढ़ोतरी) मान्य नहीं होगी।

➢ ई–मेल, फैक्स, व्हाट्सअप, एवं टेलिफोन के माध्यम से भेजी जानेवाली निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

- निविदादाता द्वारा ऐसा निविदा तैयार किया जाना चाहिए जिसमें सभी पृष्ठों में पृष्ठ संख्या अंकित हो तथा जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अमिट स्याही से हस्ताक्षर एवं मुहर होना अनिवार्य है।
- सभी सामग्रियों का **HSN CODE** अंकित करना अनिवार्य होगा।

16. सफल निविदादाताओं को निविदा सम्पन्न होने के बाद उक्त सभी कागजातों का मूल प्रति झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा जिला क्रय समिति के समक्ष दिखाना अनिवार्य है।

13. असफल निविदादाताओं को अग्रधन (Bank Draft) की राशि शीघ्र लौटा दी जायेगी।

14. सफल निविदादाताओं को अग्रधन की राशि उनके सफलतापूर्वक अनुबंध समाप्त होने के पश्चात् ही वापस की जाएगी।

17. झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1. खाद्य–अखाद्य सामगी विवरणी :–(क) एवं (ख)	अग्रधन राशि
खाद्य–अखाद्य सामग्री (राशन सामग्री,हरी साग सब्जी,मुर्गा,मछली, अंडा, दूध, पनीर, साबुन, तेल, क्रीम, सर्फ,ब्रष, जीभी, इत्यादि।	**1,00,000/-** **(One Lakh Only)**

2. दैनिक उपयोग की सामग्री विवरणी	अग्रधन राशि
यूनिफार्म, जुता, मोजा, टाई, बेल्ट एवं अन्य सामग्री	**50,000/-** **(Fifty Thousand Only)**

3. पठन–पाठन,लेखन, कार्यालय उपयोग एवं अन्य सामग्री	अग्रधन राशि
पठन–पाठन व, लेखन,कार्यालय उपयोग की सामग्री एवं अन्य सामग्री	**20,000/-** **(Twenty thousand Only)**

जिला शिक्षा पदाधिकारी –सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना,सिमडेगा।